जीवन की आस के लिए

बिहार के बाढ़ राहत शिविरों पर दलित वाच की रिपोर्ट

सितंबर 2008

सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया और पूर्णिया जिले के
205 राहत शिविरों के अवलोकन के
आधार पर तैयार

अवलोकन करने वाली संस्थाएं:

दलित वाच के स्वयंसेवकों और सदस्यों के साथ

बचपन बचाओ आंदोलन **बाढ़ सुखाड़ मुक्ति आंदोलन**
दलित समन्वय **लोक शक्ति संगठन**
नारी गूंजन **नेशनल कंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइटस**
और
प्रैक्सिक्स- इंस्टीट्यूट फॉर पार्टिसिपेटरी प्रैक्टिसेस

अवलोकन कार्य में लगे प्रमुख व्यक्ति

अभय कुमार, अनिंदो बनर्जी, आशुतोष विशाल, भरत काले, चंद्र भूषण, देवेंद्र कुमार डा. एसडीजेएम प्रसाद, कमल, गिरीश चंद्र मिश्र, जय कुमार वर्मा, महेंद्र कुमार, रोशन, मुक्ता ओझा, रामबाबू कुमार, राहुल सिंह, रणजीव, सुधा वर्गीज, विजेता लक्ष्मी.

राहत शिविरों का निरीक्षण करने वाले लोग

अभय कुमार, अमर कुमार सदा, अमरनाथ कुमार, अमितेष कुमार, अनिल कुमार सिंह, अनीता देवी, अर्चना कुमारी, अरुण कुमार पासवान, अतुल प्रियदर्शी, आजाद आलम, भारती, भीखु बोध, भुगेश्वर राम, भुवनेश्वर नागा, बिरजू कुमार, चौबे भारती, दिनेश, दिलीप गिरि, दिनेश कुमार, डा. रामपाल शर्मा, डा. शैलेंद्र कुमार, गजेंद्र मांझी, गणेश पासवान, गौतम ठाकुर, गुलाब चंद सदा, जीवन प्रकाश भारती, कमल किशोर भारती, कमल महतो, कमलेश कुमार, ललन पासवान, ललन राम, लक्ष्मण सदा, लक्ष्मी देवी, महेंद्र कुमार रोशन, माला, ममता देवी, मंजू देवी, मनोज कुमार, मनोज कुमार, मो. ज्वालुद्दीन हक, मीरा देवी, मोती सदा, मुकेश कुमार, मुमताज बेगम, नीलू माला, नीरज कुमार, प्रियदर्शी प्रियम, पूनम देवी, रबींद्र पासवान, राहुल राय, राहुल सिंह, राकेश कुमार, रामबाबू राम, रामबली दास, रामबली रविदास, रामचंद्र आजाद, रामेश्वर सदा, रामप्रवेश दास, रंजय कुमार, रासबिहारी सिंह, रवींद्र राजवंशी, रीतलाल, रिषिकेश कुमार, रीतलाल रविदास, सदाकत हुसैन, संजय कुमार राय, संतोष कुमार, सतीश, शैलेंद्र कुमार, शंकर कुमार, शौकत अली, श्यामनंदन राम, सोहन भारती, सुभाष कुमार, सुधीर पासवान, सुमन कुमार, सुनील कुमार शर्मा, सुनील रामटेक, सुनीता बहन, सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र मांझी, सुरेश चंद्र वैरवा, सुरेश कुमार, तेज कुमार, उदरानंद सिंह, उमेश प्रसाद, विद्यानंद, विजय कुमार यादव, विजय मांझी, वीरेंद्र प्रताप

दलित वाच कोर ग्रुप के सदस्य

सुधा वर्गीज (नारी गुंजन), संयोजक, **अनिंदो बनर्जी** (प्रैसिक्स), **अजय कुमार सिंह** (बचपन बचाओ आंदोलन) , **दीपक भारती**(लोकशक्ति संगठन) , **घनश्याम**(बीएसएमए) **महेंद्र कुमार रोशन**(दलित समन्वय), **पाल दिवाकर**(एनसीडीएचआर) , **रणजीव**(बीएसएमए), **विजेता लक्ष्मी**(एनसीडीएचआर), कार्यालय समन्वयक

दलित वाच कार्यालय

c/o प्रैसिक्स, पहली मंजिल, मां शारदे काम्पलेक्स,

पूर्वी बोरंग कैनाल रोड, पटना, 800001

दूरभाष: + 91 9973080970, + 91 612 2521983

Email : dalitwatchbihar@gmail.com

अनुक्रमणिका

दलित वाच के घटक संगठन

विषय तालिका

		पेज नंबर
अध्याय 1	**2008 की बाढ़ पर एक नजर**	**04**
अघ्याय 2	**मोनिटरिंग का आधार और तरीका**	**07**
अघ्याय 3	**प्रमुख निष्कर्ष:**	**10**
	राहत वितरण में मुस्तैदी के संबंध में	10
	राहत केंद्रों पर बाढ़ पीड़ितों एवं दलितों पर घ्यान	10
	एजेंसियों एवं राहत कार्य में लगे लोगों की बनावट	11
	राहत केंद्रों पर विशेष कर वंचित लोगों पर विशेष घ्यान	12
	अत्यावश्यक राहत का वितरण	13
	अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना	16
	अत्यावश्यक विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना	18
	भेदभाव और वर्जना की घटनाओं का चित्रण	20
अनुसूची 1.	दलित समुदाय के साथ भेदभाव की घटनाओं का उदाहरण	24
अनुसूची 2.	जगह विशेष का ब्योरा और केस स्टडी का फारमेट	31
अनुसूची 3.	दलित वाच के द्वारा मुआयना किए गए राहत शिविरों की सूची	36

अध्याय 1

2008 की बाढ़ पर एक नजर

भारत-नेपाल सीमा के पास (नेपाल के कुसहा में) कोसी नदी का तटबंध टूट जाने के कारण अगस्त, 2008 में भयंकर बाढ़ आई। बिहार के इतिहास की यह सबसे भयंकर बाढ़ थी। तटबंध के टूटने के कारण नदी ने अपनी धारा बदल ली और उन नए इलाकों को जलाप्लावित कर दिया जहां पिछले पांच दशकों से भी ज्यादा समय से कोई बाढ़ नहीं आई थी।

इस अप्रत्याशित बाढ़ की चपेट में बिहार के 18 जिले आ गए। इनमें से सुपौल,अररिया, मधेपुरा,सहरसा और पूर्णिया (दायीं ओर के चित्र को देखें)में बाढ़ का असर सबसे अधिक रहा। इस बाढ़ के कारण अप्रत्याशित क्षति व बर्बादी हुई। आपदा प्रबंधन विभाग के उपसचिव के द्वारा 23 सितंबर, 2008 को जारी डेली रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 18 जिलों के 114 प्रखंडों के 2528 गांव बाढ़ की चपेट में आए। इस बाढ़ से कुल 47 लाख लोग प्रभावित हुए। बाढ़ के कारण 235 लोगों की मौत हो गई। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें तालिका एक में उदधृत की गई हैं:

तालिका:1 2008 की बाढ़ का असर

बाढ़ के परिणाम	बाढ़ से हुई क्षति का परिमाण
चपेट में आए गांवों की संख्या	2528
चपेट में आए प्रखंडों की संख्या	114
चपेट में आए जिलों की संख्या	18
मरने वाले लोगों की संख्या	235 (सबसे अधिक 132 मधेपुरा में)
मरने वाले माल मवेशियों की संख्या	787
फसल की बर्बादी(लाख हेक्टेयर में)	3.38
बर्बाद हुई फसल की अनुमानित कीमत (लाख रु. में)	3419.57
क्षतिग्रस्त घरों की संख्या	322169
घरों की बर्बादी से हुआ नुकसान(लाख रु. में)	8041.18
सार्वजनिक संपत्ति की अनुमानित क्षति (लाख रु. में)	9747.00
कुल अनुमानित क्षति (लाख रु. में)	21207.75

स्रोत: 23 सितंबर,2008 को जारी आपदा प्रबंधन विभाग की डेली रिपोर्ट

23 सितंबर, 2008 तक सरकारी स्तर पर मुख्य तौर से बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में गांवों में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम किया गया। इस काम में कई जगह सेना और राष्ट्रीय आपदा रिसपांस फोर्स के जवान लगे हुए थे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक दस लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है (देखें तालिका 1:2)। बाढ़ग्रस्त लोगों को जो दूसरी सुविधाएं मुहैया कराई गई , उनमें रहने की व्यवस्था (मुख्य रूप से 407 राहत शिविरों में), खाना की आपूर्ति, स्वास्थ्य शिविर, रोजमर्रे के उपयोग के दूसरों सामानों की आपूर्ति और चापाकला लगाना शामिल हैं। तालिका 1.2 में बिहार सरकार के द्वारा किए गए राहत व बचाव कार्य की संक्षिप्त जानकारी मिलती है।

तालिका 1.2 बिहार सरकार का राहत व बचाव कार्य

राहत व बचाव से जुड़े काम	**विवरण**
सुरक्षित स्थान पर ले जाए गए लोगों की संख्या	1028345
सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के काम में लगाए गए नावों की संख्या	3654
खोले गए राहत शिविरों की संख्या	407
राहत शिविरों में कितने लोगों को शरण दिया गया	423178
वितरित आवश्यक सामग्रियों का विवरण (हवाई जहाज से गिराए गए भोजन के पैकेटों की संख्या समेत) . वितरित अनाज (गेंहू और चावल समेत) 12059.30 क्विंटल . वितरित नगद राशि 622.41 लाख ; चना 674.62 क्विंटल ; चूड़ा 7479.49 क्विंटल . सत्तू 873.85 क्विंटल; गुड़ 1183.57 ; नमक 65.27 क्विंटल; माचिस 237863 डिबिया . मोमबत्ती 422413; किरासन तेल 143336 लीटर . वितरित पोलिथीन शिट्स 173261 . चारा 2458.50 क्विंटल **अररिया, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा के जिलाधिकारी द्वारा बांटे गए तैयार फुड पैकेटः** 208941 पैकेट **हवाई जहाज से गिराए गए फुड पैकेटः** 121 892 पैकेट(चूड़ा 3659 क्विंटल, सत्तू 1216.46 क्विंटल, गुड़ 609. 56 क्विंटल, नमक 609.56, हेलोजेन टेबलेट 438680 और पानी का बोतल 174387) **सीएमआरएफ से वितरित किट्स की संख्याः** 2460 **लगाए गए चापाकलों की संख्याः** 1746	
राहत में लगाए गए मेडिकल टीम की संख्या	**177**
खोले गए मवेशी शिविरों / केंद्रों की संख्या	**189**
खोले गए स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या	**409**

स्रोतः 23 सितंबर, 2008 को जारी आपदा प्रबंधन विभाग की डेली रिपोर्ट

2008 की बाढ़ से हुई तबाही का अंदाजा मधेपुरा जिले के मो. असीन के बयान (नीचे देखें बाक्स 1.1) से लगाया जा सकता है। असीन को बाढ़ को झेलते हुए असीम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है:

बाक्स 1.1' मैं अल्लाह की दुआ से बच गया'

पचास वर्षीय मो. असीन मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के हनुमाननगर गांव के रहने वाले हैं। ये एक दलित मुसलमान हैं। इनका कहना है:

'' बाढ़ के बारे में सोचना बहुत ही खौफनाक है। मैं बहुत ही तकदीरवाला हूं जो कि अल्लाह की दुआ से बच गया। बाढ़ का पानी हमारे गांव में 18 अगस्त की रात करीब दस बजे घुस आया था। जब पानी चारो ओर से आने लगा तो मैंने सोचा कि छत पर चला जाऊं। लेकिन अपने मवेशियों को लेकर मैं चिंतित था। मेरे पास दो भैंस, दो गाय, दो बछड़ा, और 4 बकरियां समेत कुछ 10 मवेशी थे। मैंने इन सबों को नहर के पास पहुंचाने का फैसला किया। यह जगह थोड़ी ऊंचाई पर थी। हालांकि जब तक मैं नहर के पास पहुंचा, पानी मेरी छाती तक पहुंच चुका था। मैं अपने मवेशियों को बांध ही रहा था कि तक तक नहर पूरी तरह ध्वस्त हो गया और इसके पहले कि मैं कुछ कर पाता पानी की धार मेरे दो मवेशियों को बहा ले गई। वे दोनों पानी में उतराने लगे। ''

'' इसके बाद मैं भी पानी में उतराने लगा। उस वक्त मेरे हाथ में एक रस्सी और टार्च था। उतराते-उतराते मैं मकई के खेत के एक मचान पर पहुंच गया। मचान के एक बांस को पकड़ कर मैं धीरे-धीरे उस पर चढ़ने लगा। यहां से मैंने अपने नीचे पानी की तेज धार को बहते देखा। मचान पर चींटी और दूसरे कीड़े मकोड़ों भी थे। ये सब मेरे शरीर पर चढ़ने लगे। मैं जैसे-तैसे उन्हें हटाता था लेकिन वे बार-बार मेरे शरीर पर चढ़ जा रहे थे। जब यह बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैंने रस्सी को मचान के एक कोने में बांध दिया ओर उसी पर बैठ गया। पूरी रात मैं उसी रस्सी पर बैठा रहा। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और एक बार तो लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। सुबह में जब यह आभास हो गया कि मुझे मरना ही है तो मैंने पानी में कूद कर तैरने का निर्णय लिया। तैर कर एक घर की ओर बढ़ने लगा। यह घर लगभग एक किलोमीटर दूर था। यह पानी की धार की ओर था। यह अल्लाह का दुआ था कि मैं उस घर तक सुरक्षित पहुंच गया। ''

'' उस घर के छज्जे पर मैं तीन दिनों तक रहा। वहां कुछ और लोग भी थे। इनमें से एक मेरा रिश्तेदार था। उसने खाने के लिए मुझे कुछ मूढी और नमक दिया। बाद में मेरे कुछ और रिश्तेदार वहां नाव लेकर पहुंचे और किसी तरह मेरी जान बची। ''

अध्याय 2

मोनिटरिंग का आधार और तरीका

दलित वाच के बारे में

दलित वाच का गठन 2007 की बाढ़ के बाद हुआ। इसका उद्धेश्य दलित सुमदाय के साथ होने वाले भेदभाव पर नजर रखना और दलितों को उनका हक दिलाने की कोशिश करना है। बचपन बचाओ आंदोलन, बाढ़ सुखाड़ मुक्ति अभियान, दलित समन्वय, लोकशक्ति संगठन, नारी गुंजन और नेशन कम्पेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के सहयोग से इस नेटवर्क का गठन हुआ है। इस सामूहिक प्रयास को प्रैक्सिक्स, इंस्टीट्यूट फॉर पारटिसिपेट्री प्रैक्टिसेज से मदद मिलती है।

वर्ष 2007 में बिहार के समकालीन इतिहास की सबसे भयंकर बाढ़ आई। राज्य के 22 जिले बुरी तरह इस बाढ़ की चपेट में आ गए थे। बाढ़पीड़ितों में दलित समुदाय का हिस्सा बहुत बड़ा था। इस बाढ़ की मार सबसे अधिक दलितों को झेलनी पड़ी थी। बड़े पैमाने पर दलित विस्थापित हुए थे। उन्हें लंबे समय तक भूखे रहना पड़ा था। उनके मवेशी, घर, और जमीन जायदाद के कागजात समेत दूसरी संपत्तियां बर्बाद हो गई थीं। बुनियादी सुविधाएं उनकी पहुंच से दूर हो गई थीं। बिहार में 2007 की बाढ़ से हुई क्षति का जो जायजा विभिन्न संगठनों ने लिया था, उससे यह बात साबित हो गई थी सरकार के द्वारा दी गई राहत वास्तविक जरूरत के अनुपात में बहुत कम थी। बहुतेरे पीड़ितों को तो अब तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। और फिर जहां कहीं राहत बांटी भी गई , तो दलित और दूसरे वंचित समुदाय के लोगों को यह बहुत कम ही मिल पाई। राहत वितरण में भेदभाव बड़े पैमाने पर बरता गया। सरकार की एजेंसियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाएं (आइएनजीओ) और गैर सरकारी संस्थाओं(एनजीओ) की विभिन्न बैठकों में इस सवाल को उठाया गया। कुछ संगठनों के बीच इस भेदभाव को समाप्त कराने और दलितों को बराबरी का हक दिलाने के सवाल पर मिल कर काम करने की सहमति बनी। इसी सहमति के फलस्वरूप **दलित वाच** का गठन हुआ। दलित वाच ऐसे संगठनों का मंच बना।

राहत शिविरों की मोनिटरिंग का आधार

2008 की बाढ़ के बाद दलित वाच की एक टीम ने जब विभिन्न राहत शिविरों का दौरा किया तो उसने पाया कि विनाशकारी बाढ़ के बीस दिनों के बाद भी पर्याप्त राहत की व्यवस्था नहीं की गई थी। शिविर की व्यवस्था में अनेक खामियां थीं। इसके बाद बाद दलित वाच के घटक संगठनों ने बाढ़ के बाद बने राहत शिविरों की मोनिटरिंग साथ मिल कर करने का निर्णय लिया। राहत शिविरों के मुआयने के दौरान जो मुख्य बातें उभर कर सामने आईं उनमें मदद की व्यवस्था में कमी, समय पर और नियमित रूप से खाना, पानी और मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाना, बचाव के उपाय नहीं होने के कारण दलित आबादी वाले गांवों में बहुतेरे लोगों का पानी में फंसे रहना और महिलाओं , बच्चों व अपंगों की विशेष जरूरतों को पूरा करने की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं होना जैसी बातें मुख्य रूप से पाई गईं। टीम ने जिन शिविरों का दौरा किया उन शिविरों में पाया गया कि विभिन्न दलित समुदाय के बहुतेरे लोगों को राहत नहीं मिल रही। इसके बाद आम तौर पर बाढ़ग्रस्त पांच जिलों में चल रहे राहत शिविरों के कामकाज की

सतत मोनिटरिंग करने का निर्णय लिया गया। खासकर यह देखने को तय किया गया कि दलित समुदाय के लोगों को किस हद तक राहत मिल पा रही है।

कम से कम दो तिहाई राहत शिविरों की खास मोनिटरिंग निम्न मकसदों से की गई:

1. जमीनी हकीकत यह है कि बाढ़ के करीब एक माह बाद तक बाढ़ग्रस्त लोगों को सिर्फ विभिन्न संगठनों और सरकार के राहत शिविरों में उपलब्ध कराई गई मदद ही मिली है। ऐसे में यह देखना अहम था कि इन शिविरों में किस हद तक और किस तरह की राहत उपलब्ध कराई गई।
2. यह पता लगाना कि क्या सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले दलित समुदाय के लोगों को बिना किसी भेदभाव के राहत मिल रही है या फिर समाज के दबंग लोग उनके साथ किसी तरह की ज्यादती कर रहे हैं।
3. राहत प्राप्त करने में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव और अत्याचार की जो जानकारी मिले उसे जिलास्तर के अधिकारियों तक पहुंच कर दलितों को एससी-एसटी (अत्याचार प्रतिरोधी) अधिनियम 1989 और दूसरे कानूनी प्रावधानों के तहत मदद पहुंचाना।

मोनिटरिंग की कार्य प्रणाली

दलित वाच के 104 स्वंयसेवकों ने 10 सितंबर से 17 सितंबर के बीच आई बाढ़ के बाद बिहार के पांच जिलों में खोले गए 204 राहत शिविरों का मुआयना किया। दलित वाच के सदस्यों ने कुछ राहत शिविरों का दौरा किया । इस दौरे में राहत शिविरों के कामकाज और राहत वितरण की व्यवस्था में कई खामियां पाई गई। इसी के बाद राहत शिविरों के मुआयना का निर्णय लिया गया। राहत शिविरों का मुआयना जिस तरीके से किया गया, उसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:

5-7 सितंबर, 2008	चुनिंदे राहत शिविरों पर दलित वाच की मुआयना टीम गई।
8 सितंबर, 2008	दलित वाच के पटना कार्यालय में नेटवर्क लीडरों और स्वयंसेवकों की बैठक हुई, मोनिटरिंग के लिए स्वयंसेवकों का चुनाव किया गया।
9 सितंबर, 2008	चुने गए 104 स्वयंसेवकों को दलित वाच के घटक संगठनों के द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दे कर मुआयना कार्य के लिए तैयार किया गया।
10-17 सितंबर, 2008	पांच जिलों-सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया और पूर्णिया के 204 राहत शिविरों की फील्ड आधारित मोनिटरिंग की गई। दलित वाच कार्यालय से डेली अपडेट जारी किया गया।
18 सितंबर, 2008	स्वयंसेवकों की ब्रीफिंग मीटिंग हुई। पटना में प्रेस कान्फ्रेंस किया गया।

9 सितंबर को जो प्रशिक्षण दिया गया उसका मकसद स्वयंसेवकों को राहत शिविरों में दलितों के साथ हो रहे भेदभाव और अपर्याप्त राहत के बारे में सूचना एकत्र करने से जुड़ी आवश्यक जानकारी देनी थी। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें राहत शिविरों और बाढ़ग्रस्त लोगों के शरणस्थलों से निम्न बातों का पता करने को कहा गया:

- राहत वितरण में कितनी देरी हुई
- राहत शिविरों का काम देख रहे लोगों में दलितों,महिलाओं की कितनी संख्या है और किस तरह की एजेंसियां राहत काम में लगी हुई हैं
- राहत शिविरों में रह रहे लोगों की जातीय बनावट क्या है
- राहत शिविरों में कितने बच्चे, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बूढ़े और अपंग लोग रह रहे हैं
- उपलब्ध राहत सामग्री का विवरण (जैसे- भोजन, कपड़ा, रहने की जगह इत्यादि)। साथ ही इस बात की जानकारी कि राहत सामग्री किस स्रोत से मिल रही है, कितने दिन पर राहत बंट रही है, राहत सामग्री की क्वालिटी कैसी है। इसके अलावा यह पता लगाने को कहा गया कि राहत वितरण में किस तरह और किस हद तक भेदभाव हो रहा है।
- राहत शिविरों में उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं (जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रसूति सुविधा, पशु चिकित्या की सुविधा, जलापूर्ति, शौच की सुविधा, संचार सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, निबंधन की सुविधा, परिवहन की सुविधा इत्यादि) के बारे में पता करना। साथ ही यह पता करना कि ये सेवाएं और सुविधाएं किस स्रोत से मिल रही हैं, किस तरह की और कितनी मिल रही हैं और इनके बंटवारे में कोई भेदभाव हो रहा है या नहीं। किसी को सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है या नहीं।
- विभिन्न कारणों से राहत शिविरों में कितने लोगों की मौत हुई।
- पुनर्वास और बेहतर जीवन के लिए राहत शिविरों में रह रहे लोगों की चाहत क्या है।
- स्थान विशेष पर रहने के कारण दलितों को होने वाली परेशानियां

राहत शिविरों के मुआयने के काम में स्थान विशेष की समस्याएं और भेदभाव के अध्ययन का फारमेट अनुसूची 1 और 2 में संलग्न है। इस सूची में मुआयने के दौरान जिन- जिन शिविरों का दौरा किया गया, उनकी पूरी सूची है। अनुसूची 3 में इस प्रक्रिया में लगे कार्यकर्ताओं की सूची है।

अध्याय 3
खास निष्कर्ष

राहत उपलब्ध कराने की तत्परता से संबंधित

बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित पांच जिलों में राहत वितरण का आकलन करने पर यह बात साफ हो जाती है कि राहत पहुंचाने में औसतन 10 से 16 दिनों की देरी हुई। राहत शिविरों का पहला सेट सुपौल और अररिया जिले में 22 अगस्त को खुला । इसके बाद मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया में राहत शिविर खोले गए। तालिका 3.1 में इन सभी पांच जिलों में राहत शिविरों के खोले जाने में हुई देरी को दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 राहत शिविरों के खोले जाने में हुई देरी

पैमाना	अररिया	मधेपुरा	पूर्णिया	सहरसा	सुपौल
मुआयना किए गए शिविरों की संख्या	53	49	27	50	26
शिविरों के खुलने में हुई औसत देरी	12 दिन	13 दिन	16 दिन	14 दिन	10 दिन
देरी का रेंज	4 से 21 दिनों के बीच	5 से 23 दिनों के बीच	10 से 22 दिनों के बीच	6 से 26 दिनों के बीच	4 से 22 दिनों के बीच

राहत शिविरों में बाढ़ग्रस्त लोगों और दलितों की उपस्थिति

सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त चार जिलों- सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अररिया के अधिकांश राहत शिविरों में विभिन्न दलित समुदाय के लोगों की अच्छी खासी संख्या थी। यह संख्या तालिका 3.2 में दिखाई गई है। सबसे अधिक सुपौल के राहत शिविरों में 41 प्रतिशत दलित थे। इसके बाद अररिया और मधेपुरा की शिविरों में दलितों की संख्या करीब 39 प्रतिशत थी।

सुपौल की राहत शिविरों में बहुत अधिक लोग शरण लिए हुए थे। औसतन 2864 लोग हर राहत शिविर में रह रहे थे। इसके बाद पूर्णिया का नंबर आता है जहां की शिविरों में औसतन 2319 लोग रह रहे थे।

तालिका 3.2 राहत शिविरों में बाढ़ग्रस्त लोगों और दलितों की संख्या

पैमाना	अररिया	मधेपुरा	पूर्णिया	सहरसा	सुपौल
मुआयना किए गए शिविरों की संख्या	53	49	27	50	26
हर शिविर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या	1319	1452	2319	1318	2864
राहत शिविरों में दलितों का अनुपात	39%	39%	10.3%	34%	41 %

हालांकि विभिन्न जगहों पर दलित समुदाय के लोगों को इन राहत शिविर में घुसने और रहने नहीं दिया जा रहा था। इसका उदाहरण केस 3.1 में नीचे दिया जा रहा है। इसी तरह बाढ़ में डूबे दलित परिवारों को गांव से निकलने के लिए नाव की सुविधा नहीं दी गई(केस 3.2)

केस 3.1 राहत शिविरों में जाने से दलित परिवार को रोका गया

मुसहर समुदाय की तीस वर्षीया नीलम देवी सहरसा जिले के यलका पंचायत के सरवां गांव की रहने वाली हैं। दो दिनों के अथक प्रयास के बाद तीन फुट पानी पार कर वह अपने पति और तीन बच्चों के साथ सोनबरसा गांव के सुरक्षित स्थान पर पहुंची। हालांकि गांव के सरपंच ने उस गांव में एक गैर सरकारी संगठन के द्वारा संचालित राहत शिविर में उन लोगों को घुसने नहीं दिया। इस परिवार को पेट भरने के लिए गांव में भीख मांगनी पड़ी।

केस 3.2 नाव पर चढ़ने से रोका गया

सूरज अृषिदेव, अरुणा देवी और प्रमोद सदा मुसहर समुदाय के हैं। ये लोग सहरसा जिले के सौरबाजार प्रखंड के बहजापुर गांव के रहने वाले हैं। गर्दन तक पानी पहुंचने तक ये लोग गांव में थे। बाद में जब इन लोगों ने गांव छोड़ने के लिए नाव पर चढ़ने की कोशिश की तो गांव के मुखिया ने उन्हें नाव पर नहीं चढ़ने दिया। इस कारण इन लोगों को तीन दिनों तक गांव के स्कूल की छत पर शरण लेनी पड़ी। चौथे दिन जब उन्हें लगा कि स्थिति और बिगड़ती जा रही है तो उन सबों ने बिना किसी मदद के गांव से निकलने का फैसला किया। लगातार तीन दिनों तक चल कर वे किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंचे।

राहत कार्य में लगी एजेंसियों और कर्मियों की बनावट

सभी पांच जिलों में प्राथमिक तौर पर राहत पहुंचाने के काम में सरकारी एजेंसियां लगी हुई थीं। इनका सबसे अधिक ध्यान सुपौल और अररिया में था। सुपौल के 26 में से 25 और अररिया के 53 में से 46 सरकारी राहत शिविरों का मुआयना किया गया। सेल जैसे सरकारी उपक्रम भी राहत पहुंचाने के काम में लगे हुए थे। इनके अलावा राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाएं और धर्मार्थ संस्थाएं भी राहत बांटने के काम में लगी थीं। लेकिन इन सबों को मिलाकर जितने शिविर चलाए जा रहे थे उनकी संख्या सरकारी शिविरों से काफी कम थी।

इन पांच जिलों में राहत वितरण के काम में तकरीबन 24 से 46 प्रतिशत महिलाएं लगी हुई थीं। सबसे अधिक महिलाएं सहरसा के राहत वितरण में जुटी हुई थीं।

राहत वितरण के काम में लगे लोगों में दलितों की संख्या न के बराबर थी।

तालिका 3.3 राहत वितरण में लगी एजेंसियों और लोगों का ब्रेकअप

पैमाना	अररिया	मधेपुरा	पूर्णिया	सहरसा	सुपौल
मुआयना किए गए शिविरों की संख्या	53	49	27	50	26
सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे शिविरों की संख्या	46	28 (लोक उपक्रमों के 4 और शिविर)	19(लोक उपक्रमों के 2 और शिविर)	31(लोक उपक्रमों के 5 और शिविर)	25
शिविरों के प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी का अनुपात	25 शिविरों में 44 %	8 शिविरों में 37%	18 शिविरों में 28 %	36 शिविरों में 46 %	24 शिविरों में 24 %

राहत शिविरों में असहाय लोगों की उपस्थिति

सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा और पूर्णिया जिलों में चल रहे राहत शिविरों में असहाय लोगों की अच्छी खासी संख्या थी। इनमें अपंग, गर्भवती महिलाएं और वृद्ध लोग भी थे। गर्भवती महिलाओं, अपंगों और वृद्धों की संख्या (हर शिविर में क्रमशः 49, 18 और 300) सुपौल जिले के शिविरों में सबसे अधिक थी। जबकि पूर्णिया के शिविरों में महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे अधिक थी। पांच जिलों के 204 राहत शिविरों में असहाय लोगों की उपस्थिति के औसत के बारे में जानकारी तालिका 3. 4 में दी गई है। हालांकि राहत शिविरों में उपलब्ध सेवाएं एवं सुविधाएं ऐसे असहाय सामाजिक समूह की जरूरतों के अनुकून नहीं थीं। बाद के अध्यायों में इसके बारे में जानकारी दी गई है।

तालिका 3.4 राहत शिविरों में विशेष तौर से असहाय लोगों की संख्या

पैमाना	अररिया	मधेपुरा	पूर्णिया	सहरसा	सुपौल
मुआयना किए गए शिविरों की संख्या	53	49	27	50	26
हर शिविरों में गर्भवती महिलाओं की औसत संख्या	20	11	22	14	49
हर शिविरों में अपंग लोगों की औसत संख्या	13	9	6	4	18
हर शिविरों में वृद्धों की औसत संख्या	133	100	62	75	300
हर शिविरों में बच्चों की औसत संख्या	350	281	971	243	616
हर शिविरों में महिलाओं की औसत संख्या	496	278	730	271	634

अति आवश्यक राहत का वितरण

2008 की बाढ़ के बाद राहत शिविरों में जो अति अवाश्यक राहत सामग्री बांटी गई उसमें बाकी सभी मदद की तुलना में भोजन सबसे सबसे अधिक (204 में 195 पर) शिविरों में बांटा गया। 204 में से 159 राहत शिविरों में सरकारी एजेंसियां मुख्य तौर से भोजन उपलब्ध करा रहीं थीं। इसका औसत सुपौल और अररिया में सबसे अधिक था। 2008 की बाढ़ में यही जिले सबसे अधिक प्रभावित भी हुए थे।

तालिका 3.5 अति आवश्यक राहत का वितरण

पैमाना		अररिया	मधेपुरा	पूर्णिया	सहरसा	सुपौल
मुआयना किए गए स्थलों की संख्या		53	49	27	50	26
1	कितने शिविरों में भोजन उपलब्ध कराया गय	52	40	24	50	26
	कितने शिविरों में सरकारी एजेंसियों के द्वारा भी आपूर्ति की गई	52	28	19	31	26
2	कितने शिविरों में रहने की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई	18	2	17	34	24
	कितने शिविरों में सरकारी एजेंसियों के द्वारा भी आपूर्ति की गई	17	0	11	10	20
3	कितने शिविरों में कपड़े बांटे गए	15	3	16	25	14
	कितने शिविरों में सरकारी एजेंसियों के द्वारा भी आपूर्ति की गई	13	0	2	5	5
4	कितने शिविरों में घरेलू सामान बांटे गए	0	1	7	3	4
	कितने शिविरों में सरकारी एजेंसियों के द्वारा भी आपूर्ति की गई	0	0	2	0	2

जिन 204 शिविरों का मुआयना किया गया उनमें 95 पर रहने की जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई गईं। रहने की सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों में सरकारी एजेंसियां भी प्रमुख थीं। सुपौल और अररिया में सबसे अधिक रहने की अवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गईं। इन जिलों के अधिकांश राहत शिविरों (34) में रहने की सुविधा उपलब्ध थी। हालांकि यहां सरकारी एजेसियों की भागीदारी सीमित थी। इसी तरह कपड़ा और घरेलू सामानों के वितरण में भी सरकारी एजेंसियों की भागीदारी बहुत कम थी। (देखें तालिका 3.5)

अररिया और पूर्णिया के अधिकांश राहत शिविरों में खाना दिन में दो बार बांटा जा रहा था। जबकि मधेपुरा की शिविरों में अधिकांशत: दिन में एक ही बार खाना दिया जा रहा था। सहरसा और सुपौल के शिविरों में स्थिति थोड़ी बेहतर थी और वहां अधिकांश जगहों पर दिन में तीन बार खाना दिया जा रहा था। (देखें तालिका 3.6)

तालिका 3.6 राहत शिविरों पर दिन भर में कितनी बार खाना बांटा गया (सभी स्रोतों से)

पैमाना	अररिया	मधेपुरा	पूर्णिया	सहरसा	सुपौल
मुआयना किए गए शिविरों की संख्या	53	49	27	50	26
दिन में कितनी बार खाना बांटा गया					
दिन में एक बार	5	29	1	4	2
दिन में दो बार	43	10	19	18	7
दिन में तीन बार	2	1	4	24	15
कई दिनों में कभी कभार, एक बार	–	4	–	2	–
कभी नहीं	3	5	3	2	2

मुआयने की प्रक्रिया में पाया गया कि कई शिविरों में दलितों को बहुत खराब खाना दिया जा रहा था। अधिकांश शिविरों में खिचड़ी बांटी जा रही थी। जबकि कुछ शिविरों में सिर्फ माड़ दिया जा रहा था। बगल के चित्र में मधेपुरा के एक शिविर में बांटे जा रहे खाने का नूमना पेश है।

बॉक्स 3.1 में सुपौल के एक राहत शिविर में दिये जा रहे खाने के बारे में एक दलित के द्वारा दी गई जानकारी उल्लेखित है:

भीख मांगने पर भी इससे बेहतर खाना मिलता

सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड के रहने वाले हलखोर जाति के 28 वर्षीय मजदूर ज्वाला राउत ने कहा: 'मुझे बाढ़ आने या तटबंध टूटने की कोई भनक नहीं थी। 18 अगस्त की रात करीब आठ बजे हमारे गांव में पानी घुस आया। सभी जगह कोहराम मच गया। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मैंने पानी से बाहर निकलने की मशक्कत की और किसी तरह बीरपुर टेलीफोन एक्सचेंज में ठौर मिला। एक्सचेंज के तिमंजिले भवन में करीब हजार-डेढ़ हजार लोग शरण लिए हुए थे।

मेरा कुछ भी बच नहीं पाया था। बाढ़ की पानी में मेरे सारे बर्तन, मवेशी और अनाज बह गए थे। मेरी झोपड़ी भी बह गई । अपने रिश्तेदारों को भी मैं नहीं खोज पाया। टेलीफोन एक्सचेंज में अपने परिवार के साथ मैं करीब 25 दिनों तक रहा। मुरमुरा खाकर किसी तरह जिंदा रहा। हम हवाई जहाज से खाना

गिराए जाने का इंतजार करते रहते थे। सात सितंबर को हमलोगों को वहां से बीरपुर अनुमंडल के कटैया लाया गया। यहां हम अपने रिश्तेदारों के साथ पांच दिनों तक बहुत ही खराब हालत में रहे। अपने रिश्तेदारों के लिए हम बोझ न बन जाएं यह सोच कर हम लोग 13 सितंबर को पिपरा मिडिल स्कूल में चल रहे राहत शिविर में आ गए।

यहां आने पर सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसके साथ ही शिविर में कोई साफ-सफाई नहीं थी। एक ही हॉल में अनगिनत लोगों को ठूंस दिया गया था। शुरू में यहां दिया जा रहा खाना बहुत ही खराब था। खाना इतना खराब था कि हम सोचने लगे कि इससे अच्छा तो भीख मांगना होगा। लेकिन हमें अपने बच्चों की सोच के साथ समझौता करना पड़ा। यहां स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत ही खराब है। बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय के नाम पर एक परती पड़ी जमीन को प्लास्टिक से घेर दिया गया है। '

कई राहत शिविरों में रह रहे दलित समुदाय के लोगों ने आवश्यक सामग्रियों के वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया। दलितों को खराब सामान दिये जाते हैं, देर से खाना दिया जाता है, अलग बैठा कर दूसरे जगह खाना दिया जाता है, गाली-गलौज की जाती है। नीचे बॉक्स 3.2 में मेघा शिविर में रह रहे एक मुसहर की आपबीती है। बाद में इस अध्याय के बॉक्स 3.3 में राहत शिविरों में दलित समुदाय के साथ हो रहे तरह तरह के भेदभाव का विवरण है।

बॉक्स 3.2 हमें शिविर में बचा खुचा दिया जाता है

.बूटन अृषिदेव

(स्व. सरयुग अृषिदेव के 45 वर्षीय पुत्र बूटन अृषिदेव मुसहर जाति के हैं। मधेपुरा जिले के गोलपाड़ा प्रखंड के रेसना गांव से विस्थापित होने के बाद इन्होंने कोसी प्रोजेक्ट के मेगा शिविर में शरण ले रखी है। यहां ाहत शिविर के अपने अनुभवों को वे बता रहे हैं)

'' हमारे गांव में 19 अगस्त की रात करीब 11 बजे बाढ़ का पानी घुस आया। ऐसे उस दिन सुबह से ही बाढ़ आने की आशंका बनी हुई थी, लेकिन हममें से किसी ने यह नहीं सोचा था कि स्थिति इतनी खराब हो जाएगी। आर्थिक रूप से संपन्न लोग अपने वाहनों से सुबह से ही गांव छोड़ने लगे थे। लेकिन मुझ जैसे गरीब लोग अपनी झोपड़ी, मवेशी, अनाज और परिवार लेकर गांव छोड़ने की स्थिति में नहीं थे।

रात में पानी हमारी झोपड़ी में घुस आया। पानी की धार इतनी मजबूत थी कि हम अपना कुछ भी नहीं बचा पाए। उस वक्त हमें सिर्फ अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। हम दलित टोला के स्कूल में चले गए। यह स्कूल थोड़ी ऊंची जगह पर है। स्कूल में हम पांच दिनों तक बिना खाए रहे। बाद में जब हमारे सरपंच बालेश्वर यादव को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने मुखिया फगुनी रजक से स्कूल में रखे अनाज का इस्तेमाल कर वहां रह रहे लोगों को खाना देने को कहा। इस तरह पांच दिनों के बाद हमें वहां खाना मिला।'

वहां पर जगह काफी कम थी। इस कारण हम ठीक तरह से रह नहीं पा रहे थे। स्कूल चूंकि पानी में डूब चुका था। इस कारण औरतों को खासा परेशानी हो रही थी। औरतें साड़ी से पर्दा कर शौच करती थीं। पांच दिनों के बाद सेना के जवान नाव के साथ आए हमें वहां से हटाए। हमें हटा कर सहरसा लाया गया।

सहरसा में रहने के लिए हमने कई जगहों की तलाश की। आखिरकार कोसी प्रोजेक्ट के मेगा शिविर में आ गए। शुरू में सब कुछ संतोषजनक था। हमें पर्याप्त खाना मिल जा रहा था। मेगा शिविर ऐसे जगह पर था जहां दलित आसानी से पहुंच सकते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यहां दबंग लोगों का कब्जा हो गया है। अब हमें सुबह में बचाखुचा खाना मिल रहा है। शिकायत करने पर उन लोगों की झाड़ सुननी पड़ती है। राहत शिविर में तरह तरह के 26 सामान आए लेकिन मुसहरों को बाल्टी और मग के सिवा कुछ और नहीं दिया गया। वह भी कुछ मुसहरों को ही मिला। इस शिविर के लिए नए कपड़े भी आए लेकिन हमें सिर्फ उतरन (दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ) दिया गया।''

स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता

दलित वाच के द्वारा मुआयना किए गए 205 राहत शिविरों में से सिर्फ 116 में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें से 81 जगहों पर सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं। इनमें सेना के मेडिकल कैंप भी शामिल हैं। सिर्फ 75 राहत शिविरों में शिक्षित डाक्टरों की सेवा उपलब्ध है। इनमें से पचास स्वास्थ्य शिविर सरकारी हैं। महिला डाक्टरों की संख्या बहुत कम है। सिर्फ 29 शिविरों में महिला डाक्टर हैं। इनमें सरकार की ओर से आईं 14 महिला डाक्टर हैं। सुपौल और मधेपुरा के जिन-जिन राहत शिविरों में दलित वाच की टीम गई वहां कहीं भी महिला डाक्टर नहीं थीं।

मधेपुरा जिले के जिन शिविरों का मुआयना किया गया वहां स्वास्थ्य सुविधाएं खास चिंता की बात थी। सिर्फ पांच स्वास्थ्य शिविर और तीन डाक्टर थे। अलग से एक भी प्रसूति गृह (लेबर रूम) नहीं था। पांच जिलों में सिर्फ 14 जगहों पर अलग से लेबर रूम था। इनमें पांच लेबर रूम की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई थी। खुले में प्रसव कराया जा रहा था। गर्भवती महिलाओं के लिए प्राइवेसी की कोई व्यवस्था नहीं थी। स्वास्थ्य परिचारिकाएं भी बहुत कम थीं। 204 राहत शिविरों में से सिर्फ 17 सरकारी स्वास्थ्य शिविरों में महिला परिचारिका थी। गर्भवती महिलाएं खुले मैदान में बच्चे को जन्म दे रही थीं।

तालिका 3.7 में 204 राहत शिविरों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी है:

तालिका 3.7 उपलब्ध आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं

पैमाना		अररिया	मधेपुरा	पूर्णिया	सहरसा	सुपौल
मुआयना किए गए शिविरों की संख्या		53	49	27	50	26
1	कितने शिविरों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं	35	5	21	35	20
	कितने शिविरों में सरकार की ओर से भी सेवाएं उपलब्ध हैं	28	2	13	24	14
2	कितने शिविरों में एमबीबीएस डाक्टर उपलब्ध हैं	24	3	15	19	14
	कितने शिविरों में सरकारी एमबीबीएस डाक्टर भी हैं	17	0	9	13	11
3.	कितने शिविरों में महिला डाक्टर उपलब्ध हैं	8	3	7	10	0

	कितने शिविरों में सरकारी महिला डाक्टर भी हैं	5	0	4	5	0
4	कितने शिविरों में महिला परिचारिका उपलब्ध हैं	12	2	11	4	3
	कितने शिविरों में सरकारी परिचारिका भी उपलब्ध हैं	7	0	5	4	1
5.	कितने स्वास्थ्य शिविरों में लेबर रूम की सुविधा है	1	0	6	4	3
	कितने जगहों पर सरकारी लेबर रूम भी है	1	0	3	0	1

राहत शिविरों में सबसे अधिक मधेपुरा जिले की शिविरों में 233 मौत रजिस्टर्ड की गई हैं। इनमें से 27 प्रतिशत दलित बाढ़पीड़ित हैं। राहत शिविरों में मरने वाले लोगों में दलितों का अनुपात बहुत अधिक है। अररिया, सहरसा और सुपौल की शिविरों में मरने वालों में 60 प्रतिशत से ज्यादा दलित हैं। तालिका 3.8 में विभिन्न कारणों से राहत शिविरों में होने वाली मौत और इनमें दलितों के अनुपात के बारे में जानकारी दी गई है।

तालिका 3.8 राहत शिविरों में होनी वाली मौत का विवरण

पैमाना	अररिया	मधेपुरा	पूर्णिया	सहरसा	सुपौल
मुआयना किए गए शिविरों की संख्या	53	49	27	50	26
कुल कितने लोग मरे	167	233	अनुपलब्ध	179	69
मरने वालों में दलितों की संख्या	68	27 %	अनुपलब्ध	60%	90%

विभिन्न आवश्यक सेवाओं व सुविधाओं की उपलब्धता

दलित वाच के मुआयने के वक्त विभिन्न राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के निबंधन का काम चल रहा था। जिन 204 शिविरों का मुआयना किया उनमें से 111 में यह निबंधन हो रहा था। सरकारी एजेंसियों ने 74 जगहों पर ऐसे निबंधन की प्रक्रिया शुरू की थी। कई दूसरी एजेंसियां भी निबंधन का काम कर रही थीं। सहरसा और पूर्णिया जिले यह काम बहुत सामान्य तौर पर देखा गया। सहरसा के 80 और पूर्णिया के 77 प्रतिशत शिविरों में निबंधन हो रहा था। मधेपुरा के कुछ ही शिविरों में निबंधन का काम शुरू हुआ था। तालिका 3.9 में 204 राहत शिविरों में उपलब्ध आवश्यक सुविधाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई है।

172 राहत शिविरों में पेयजल की व्यवस्था थी। इनमें से 115 शिविरों में यह व्यवस्था सरकारी स्रोतों की ओर से की गई थी। सरकार की ओर से पेयजल की यह सुविधा सबसे कम मधेपुरा जिले में उपलब्ध कराई गई। जिले के 45 शिविरों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन इनमें से मात्र मात्र 9 पर सरकार की ओर से यह सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

जिन 204 शिविरों का मुआयना किया गया उनमें से मात्र 55 में शौचालय की सुविधा थी। इन 55 में से 36 स्थानों पर यह सुविधा सरकारी एजेंसी की ओर से दी गई थी। सुपौल और मधेपुरा जिले के मात्र

तीन-तीन शिविरों में शौचालय की सुविधा थी। जबकि इन जिलों में राहत शिविरों की संख्या क्रमशः 45 और 28 है।

204 में से 81 शिविरों में स्पेशल विशेष चाइल्ड केयर सर्विस की व्यवस्था है। इन केंद्रों पर बच्चों के लिए दूध, बिस्कुट और टीकाकरण की व्यवस्था है। 49 जगहों पर यह सुविधा सरकारी एजेंसियां उपलब्ध करा रहीं थीं। इन 49 में से अकेले सहरसा जिले के 34 शिविरों में यह सुविधा थीं।

तालिका 3.9 में पांच जिलों के राहत शिविरों में उपलब्ध आवश्यक सेवाओं एवं सुविधाओं की जानकारी है:

तालिका 3.9 अन्य आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाओं की उपलब्धता

पैमाना		अररिया	मधेपुरा	पूर्णिया	सहरसा	सुपौल
मुआयना किए गए शिविरों की संख्या		53	49	27	50	26
1	कितने शिविरों में रहने वालों का निबंधन हुआ	26	8	21	40	16
	कितने सरकारी शिविरों में भी निबंधन हुआ	17	6	15	24	12
2	कितने शिविरों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है	42	34	26	46	24
	इनमें से कितने पर सरकार की ओर से यह सुविधा दी गई है	33	10	13	39	20
3	कितने शिविरों में शौचालय की सुविधा है	16	3	12	21	3
	इनमें से कितने पर सरकार की ओर से यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है	11	0	5	17	3
4	कितने शिविरों में आवागमन की सुविधा है	7	9	7	19	4
	इनमें से कितने पर सरकार की ओर से यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है	2	4	7	6	4
5	कितने शिविरों में स्पेशल चाइलड केयर की सुविधा है	12	0	20	31	18
	इनमें से कितने पर सरकार की ओर से यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है	8	0	11	16	14
6	कितने शिविरों पर सुरक्षाकर्मी उपलब्ध हैं	24		21	29	25
	इनमें से कितने पर सरकार की ओर से यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है	18		11	25	22

भेदभाव एवं वर्जना की घटनाओं के जीवंत उदाहरण

जिन राहत शिविरों का मुआयना किया गया वहां राहत की व्यवस्था अपर्याप्त होने और आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पाने के उपरोक्त मामलों के साथ ही दलितों के साथ होने वाले दूसरे सामाजिक भेदभाव का भी पता लगा। भेदभाव बरते जाने के कारण दलितों को राहत और दूसरी सुविधाओं का लाभ ठीक तरह से मिल पाया। मुआयना के क्रम में पाए गए ऐसी घटनाओं के कुछ उदाहरण बाक्स 3.3 में दिए जा रहे हैं:

बाक्स 3.3 दलित के साथ हो रहे भेदभाव का एक नमूना

- सुपौल के प्रतापगंज प्रखंडन्तर्गत बांसचौक शिविर में चमार जाति के भोखू राम ने जब अपने बच्चों के लिए खाना मांगा तो सुरक्षा गार्डों ने उनकी पिटाई कर दी। सुरक्षा गार्ड दबंग जाति के थे।
- मधेपुरा के शंकरपुर प्रखंड के मउरा भारती गांव में चल रहे शिविर में दलित समुदाय के लोगों को सिर्फ नमक के साथ माड़ दिया जा रहा था। जबकि दबंग जाति के लोगों को चावल के साथ सब्जी और दाल मिल रहा था।
- मधेपुरा के एक शिविर में चापाकल से पानी लेने गई एक मुसहर बच्ची के साथ छेड़छाड़ किया गया। बच्ची ने जब इसका विरोध किया तो दबंग जाति के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी।
- मधेपुरा जिले के बिहारीगंज में गायत्री बालिका उच्च विद्यालय स्थित शिविर दलित समुदाय की एक गर्भवती महिला से प्रसव के लिए सात सौ रुपए लिए गए।
- पूर्णिया जिले के मुरलीगंज प्रखंडन्तर्गत रजनी गांव में चल रहे शिविर में बड़ी संख्या में मुसहर समुदाय के लोग रह रहे थे। लेकिन इस शिविर को कुछ ही दिनों के बाद बंद कर दिया गया।
- सहरसा के भूरी और सिंधियां गांव में चल रहे शिविर में दबंग जाति के लोगों को स्कूल के बरामदे में खाना दिया जाता था जबकि दलितों को खुले मैदान में खाना दिया जा रहा था।
- अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंडन्तर्गत फतेहपुर मध्य विद्यालय में चल रहे शिविर में मुसहर समुदाय के दुखी सदा का इलाज नहीं किया गया जिसके कारण अंततः उनकी मौत हो गई।
- इसी जिले के वार्ड नंबर आठ में चल रहे शिविर में दलितों की मौत का पूरा विवरण दर्ज नहीं किया जा रहा था। जबकि पगराहा बालिका मध्य विद्यालय में चल रहे शिविर में दबंग जाति के लोगों को खाना दे दिया जाता था, उसके बाद दलितों को खाना मिलता था।
- नरपतगंज के जनता उच्च विद्यालय में चल रहे शिविर में शौच के लिए जा रही चौदह साल की एक दलित लड़की के साथ दबंग जाति के लोगों ने बलात्कार किया।
- मधेपुरा जिले के शंकरपुर प्रखंडन्तर्गत कबियाही और सोनबरसा गांव में दबंग जाति के लोगों के द्वारा दलित जाति के लोगों की राहत सामग्री लूट लिए जाने की सूचना मिली।
- सहरसा जिले के सौरबाजार मध्य विद्यालय में चल रहे शिविर में दबंग जाति के लोगों ने दुसाध जाति के नंदकिशोर पासवान से 2200 रुपए छिन लिए।
- इसी तरह की घटना की सूचना सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंडन्तर्गत सीतापुर गांव में चल रहे शिविर में भी मिली। यहां दबंग जाति के लोगों ने शिविर के लिए लाए जा रहे 30 चापाकलों को लूट लिया।

इन सब के साथ ही सभी जिलों के राहत शिविरों के प्रबंधन में लगी टीमों में दलित समुदाय के लोगों को न के बराबर शामिल किया गया।

अनुसूची 1 में दलित समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

अध्याय 4

सार एवं निष्कर्ष

दलित वाच के द्वारा किए गए 205 शिविरों के मुआयने में यह बात साफ हुई कि अधिकांश शिविरों में राहत वितरण के प्रबंधन में खासी कमियां हैं। मधेपुरा जिले में ये कमियां खास तौर से पाई गई। राहत प्रक्रिया को बेहतर बनाने और खास कर दलितों तक सही तरीके से राहत पहुंचाने के लिए दलित वाच राहत शिविरों के कामकाज में सुधार की निम्नलिखित सिफारिश करता है:

1. सभी राहत शिविरों में रह रहे दलितों का निबंधन अनिवार्य तौर पर तत्काल किया जाए। दलितों को जानमाल, मवेशी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की हुई क्षति को दर्ज किया जाए।
2. राहत शिविरों में रह रहे लोगों के लिए पर्याप्त खाना, रहने की जगह, इलाज और प्रसूति सुविधा, शौचालय की सुविधा, महिला डाक्टर और परिचारिका की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, आवागमन और संचार सुविधा की व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार की जाए। सारी व्यवस्थाएं मानवीय जरूरतों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएं।
3. सामाजिक रूप से दबे हुए समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव की आशंकाओं को ध्यान में रख कर प्रभावित दलितों के लिए प्राथमिकता के आधार पर सुविधा की व्यवस्था की जाए। राहत शिविरों के प्रबंधन में दलित समुदाय के लोगों को शामिल किया जाए।
4. दलितों के साथ हो भेदभाव, प्रताड़ना की घटनाओं को अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1089 के तहत तत्काल दर्ज किया जाए। दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जाए और ऐसी वारदातों को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं।
5. राहत शिविरों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण कराया जाए। शिकायतों, और खास कर सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय के लोगों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए प्रभावी व कुशल तंत्र विकसित किया जाए।
6. राहत शिविरों के कामकाज को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए तंत्र खड़ा किया जाए। शिविरों में उपलब्ध राहत सामग्री और दूसरे संसाधनों एवं उनके वितरण के बारे में जानकारी सार्वजनिक की जाए।
7. राहत पहुंचाने में होने वाली हर तरह की खामियों के लिए जवाबदेही तय की जाए और इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
8. विभिन्न तरह के नुकसानों के लिए मुआवजा हासिल करने के लिए निधार्रित पात्रता की समीक्षा कर इसे नए सिरे से निधार्रित किया जाए। मौत के बाद मिलने वाले मुआवजे की सारी प्रक्रिया को खास तौर से दुरुस्त किया जाए। डायरिया जैसी बाढ़जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों के लिए भी परिजनों को पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित कराई जाए।
9. बचाव, राहत और पुनर्वास कार्य में लगे नावों के नाविकों को पारिश्रमिक का भुगतान समय पर कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

10. राहत प्रक्रिया को राहत शिविरों से आगे प्रभावित गांवों तक ले जाया जाए,जहां लोग बहुत कम सुविधा व साधन के सहारे जीवन गुजार रहे हैं।
11. विभिन्न स्तरों पर स्थिति की समीक्षा और कार्य योजना बनाने के लिए सरकार की जो उच्चस्तरीय सरकारी समितियां हैं, उनमें मीडिया और दलितों के बीच काम करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।
12. स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों के लिए पर्याप्त कोष की व्यवस्था की जाए ताकि स्थानीय ईकाइयों के निवार्चित प्रतिनिधि नुकसान और संकट के समय तुरंत आवश्यक उपाय कर सकें।
13. बाढ़ के कारण होने वाली क्षति और लोगों के पुनर्वास के लिए सीआरएफ और एनसीसीएफ के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए प्रभावी और समयबद्ध प्रक्रिया बनाई जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी हाल में मुआवजा मिलने में तीन माह से अधिक का समय नहीं लगे। बाक्स 4.1 में 2008 की बाढ़ के बाद नए सिरे से अपनी दुनिया बसाने की लाखों लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाया गया है।

बाक्स 4.1 ''हमसबों को नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी है''

मुसु राम के पुत्र बालेश्वर राम की उग्र पचास साल है। ये चमार जाति के हैं और मधेपुरा के भराही गांव के रहने वाले हैं। 28 अगस्त की रात करीब एक बजे उनके गांव में बाढ़ का पानी घुसा था। उस समय गांव में करीब साठ चमार परिवार रह रहे थे। रात में ही इन सबों ने गांव छोड़ दिया। पास के डैम पर जा कर शरण लिया। ये सभी वहां करीब सात दिनों तक रहे। लेकिन इन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिली। इसके कारण ये लोग, और खास कर बच्चे, बहुत ही बुरे हाल में थे। कहीं से सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिखने के बाद इन लोगों ने पांच फुट गहरे पानी को लांघ कर बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई। किसी तरह ये लोग बैजनाथपुर पहुंचे और 18 किलोमीटर पैदल चल कर सहरसा के मेन रोड पर आए। कुछ दिनों तक ये लोग सहरसा रेलवे स्टेशन पर रहे। इसके बाद इन्होंने रूपवती बालिका विद्यालय में शरण ली।

बालेश्वर अपनी चिंता प्रकट करते हुए बताते हैं कि यहां अफवाह थी कि यह राहत शिविर अगले दो-तीन दिनों में बंद हो जाएगी। बालेश्वर कहते हैं, '' अगर हम अपने गांव लौट भी जाएं, तो वहां कुछ कर नहीं सकते। बाढ़ में हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ऐसे में हम कहां रहेंगे? हमारी झोपड़ी, मवेशी, बर्तन, अनाज, कपड़ा, यानी सब कुछ बाढ़ में बह गया है। गांव में हमारे पास आजीविका का कोई विकल्प नहीं बचा है। '' बालेश्वर का कहना है कि सरकार उन जैसे लोगों को सबसे पहले रहने की जगह मुहैया कराए, बाढ़ के कारण हुई क्षति का उचित मुआवजा दे, आजीविका का साधन और रोजगार मुहैया कराए ।

...

<u>अनुसूची 1</u>

राहत शिविरों के मुआयने के समय पाए गए भेदभाव के मामलों की बानगी

क्रम संख्या	भेदभाव का प्रकार	प्रभावित लोगों की अनुमानित संख्या	प्रभावित व्यक्ति का नाम	जाति	पता: गांव पंचायत प्रखंड जिला	भेदभाव करने वाले का नाम और विस्तृत जानकारी	घटना की तिथि, समय और स्थान	मामले का संक्षिप्त विवरण	शिविर का नाम और पता
सुपौल जिला									
1	मेडिकल सुविधा नहीं मिलना	600	ब्रहमदेव राम , राधा देवी, गुड़िया कुमारी	चमार मुसहर	परसाही उड़ियाहा राघोपुर सुपौल	शिविर प्रभारी और कैंप के डाक्टर	शिविर में (5.9.08)	शिविर प्रभारी के साथ साजिश कर डाक्टर ने दलितों का इलाज नहीं किया। उसने केवल दबंग जाति के लोगों को देखा। दलितों को ठीक दवा भी नहीं दी गई।	ललित बालिका उच्च विद्यालय, गनपतगंज, राघोपुर, सुपौल
2	राहत सामग्री नहीं मिलना	500	मूर्ति देवी और नागेश्वर पासवान	मुसहर और दुसाध	भीरजावा, त्रिवेणीगंज सुपौल	शिविर प्रभारी	29.8.08	दलितों को पॉली शिट्स और चटाई नहीं दी गई। उन्हें भींगी जमीन पर सोना पड़ा।जिसके कारण वे दबंग लोगों की तुलना में जल्दी बीमार पड़े।	ललित बालिका उच्च विद्यालय, गनपतगंज, राघोपुर, सुपौल
3	पेयजल और शौचालय की सुविधा नहीं मिलना	10	सूरती देवी	मुसहर	पटोरी, सिंघेश्वर, मधेपुरा	खाना प्रभारी और उसके वर्कर	11.9.08	दलित महिला खाना लेने गई थी। खाना लेते वक्त उसने अपने पति का हिस्सा भी दे देने का अनुरोध किया। इस पर उसे ठेल कर बाहर कर दिया गया और खाना नहीं दिया गया।	आईटीआई, सुपौल

4	निबंधन नहीं कराने दिया गया	32	बाबूनंद राम	चमार	करबाना, खंती, छातापुर सुपौल	कुमारी कोमा और स्थानीय समर्थक	13.9.08	पीड़ित और उसके परिवार के दस लोग 10.9.08 को शिविर में आए , लेकिन 13.9. 08 तक उनका निबंधन नहीं किया गया। वास्तव में उन्हें निबंधन कराने से रोका गया।	उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय, त्रिवेणीगंज, सुपौल
5	हमला	6	भोकू राम	चमार	टोकना, प्रतापगंज, सुपौल	बीडीओ का सिक्यूरिटी गार्ड बासराम यादव	15.9.08	पीड़ित जब खाना लेने गया तो गार्ड के द्वारा उसे पिटाई की गई जिसके कारण उसका पैर टूट गया।	सरकारी शिविर
6	भोजन वितरण मे भेदभाव	6	चंद्रकला देवी	मुसहर	श्रीपुर, प्रतापगंज , सुपौल	शिविर प्रभारी	15.9.08	शिविर शुरू होने के समय से ही दलितों को खाना नहीं दिया जा रहा।	बांसचौक सरकारी शिविर
7	रहने की जगह नहीं मिलना	800	हीरालाल सदा, शंभु राम, सुखदेव सदा	मुसहर चमार मुसहर	मधुबनी,हरि हर पट्टी, मधुबनी, छातापुर, सुपौल	गनपतगंज गांव के दबंग ग्रामीण	1.9.08 से 16.9. 08	पीड़ितों को शिविर के अंदर नहीं रहने दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने मुंह नहीं खोला क्योंकि उन्हें धमकी दी गई थी कि बोलोंगे तो पिटाई होगी। इन सबों को शौच की सुविधा तक उपलब्ध नहीं थी।	ललित बालिका विद्यापीठ, उच्च विद्यालय, गजपतगंज, राघोपुर, सुपौल
8	गाली गलौज	248	श्री रामजीवा के पुत्र जयनारायण	चमार	लालगंज किला, छातापुर	शिविर प्रभारी	15.9.08	पीड़ित जब खाना लेने गया तो	बांसचौक शिविर, प्रतापगंज

			राम		प्रखंड, सुपौल			शिविर प्रभारी ने उसके साथ गाली गलौज किया। इस शिविर में दिन में एक बार खाना मिलता है या फिर वह भी नहीं मिलता।	
9	भोजन नहीं मिलना	248	कुलानंद	जरदोतार	सिद्दीपुर, प्रतापगंज थाना	चंदेशरी यादव	15.9.08	भोजन लेते वक्त पीड़ित को गाली दी गई और उसे कतार से निकाल दिया गया	बंश चौक शिविर, प्रतापगंज
10	भोजन नहीं मिलना	300	नुन्नु लाल सदा, मिश्रीलाल सदा, सुरेंद्र पासवान, गणेश पासवान	मुसहर पासवान	ग्रा.-प्रभा, पंचायत: निर्मली, प्रखंड वसंतपुर, सुपौल	शिविर प्रभारी	खाने के समय	समय पर खाना नहीं पकने और मिलने के कारण पीड़ित को खाना की तलाश में शिविर से बाहर जाना पड़ा	रतनपुरा मध्य विद्यालय, वार्ड नं. 5, वसंतपुर, सुपौल
11	राहत सामग्रियां नहीं मिलना	500	जीतेंद्र मुखिया, विजय मंडल, वीरेंद्र मुखिया, प्रदीप मुखिया	मल्लाह	ग्रा./पंचायत: सीतापुर, प्रखंड: वसंतपुर, सुपौल	दबंग लोग	13.9.08	चापाकल का सामान आया तो दबंग लोगों ने उसे रोड़ पर ही लूट लिया	प्राइमरी स्कूल, कटैया पावर हाउस, वसंतपुर, सुपौल
12	राहत सामग्रियों के वितरण में गाली गलौज और भेदभाव	648	बलदेव राम के पुत्र सैनी राम	चमार	सिद्दीपुर, प्रतापगंज थाना, सुपौल	चंदेशरी यादव एवं शिविर प्रभारी	13.9.08	शिविर शुरू होने से लेकर अब तक पीड़ित को प्लास्टिक शिट्स नहीं दिया गया। पड़ित जब 13.9.08 को कतार में खड़ा था तब उसे गाली दी गई।	वंशचौक, प्रतापगंज, सुपौल
13	राहत सामग्री नहीं मिलना	215	महारानी, पति: प्रतिसदा रिशिदेव	चमार	ओरिया, त्रिवेणीगंज	शिविर प्रभारी और उनकी टीम	12.9.08	जब कभी राहत सामग्री बंटती थी तब	वंशचौक, प्रतापगंज, सुपौल

								तब शिविर प्रभारी ने पीड़ित को राहत सामग्री लेने से रोका	
14	जबरन काम कराना	100	सुखदेव राम, जयकुमार राम	चमार	छातापुर, सुपौल	शिवनारायण रावत, पंचायत सचिव	14.9.08	दबंग लोगों को भोजन देने के समय दलितों से उस जगह को बहारने और पत्तल उठाने को कहा गया	प्राथमिक विद्यालय, भूरा
15	मारपीट	एक परिवार	ललिता देवी	दुसाध	टेकुना, प्रतापगंज, सुपौल	शिविर के कार्यकर्ता आर दूसरे दबंग लोग	11.9.08	नाश्ता अकेले ललिता देवी को दिया गया। उनके बेटे को नाश्ता नहीं मिला। बेटे के लिए नाश्ता मांगने पर अभियुक्तों ने मां-बेटा दोनों को पीटा।	भपतियाही हाई स्कूल, सुपौल
16	मारपीट	एक परिवार	प्रमोद सदा और उनके भाई सिनोद कुमार	मुसहर	डोरा, छातापुर, सुपौल	शिविर के कार्यकर्ता	14.9.08 सिनोद कुमार जब नाश्ता लेने शिविर में गए तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें बाहर ढकेल दिया। उनके भाई प्रमोद सदा ने जब इसका विरोध किया तो दोनों भाइयों की	लखीचंद साहू हाई स्कूल सिमराही	

							पिटाई कर दी गई।		
17	सुविधाओं का नहीं मिलना	1000	अयोधी सदा, चंदेशरी पासवान एवं अन्य	दलित	छातापुर, सुपौल	जिला के अधिकारी		दलितों को मेडिकल सुविधाएं नहीं दी गई। साथ ही उन्हें नाव या गांड़ी नहीं मिला	उलहास पलार हाट के निकट, सुपौल
सहरसा जिला									
18	लूट	एक परिवार	नंदकिशोर पासवान	दुसाध	पथरघाट, सौरबाजार, सहरसा	दबंग जाति के लोग	30.8.08	कुछ दबंगों ने 2200 रु लूअ लिए	हाई स्कूल, सौरबाजार, सहरसा
19	गाली गलौच	एक दलित महिला	अशोक राम और उनकी पत्नी	चमार	भट्ठीकला, पथरघाट, सहरसा	डा. रामानंद सिंह	11.9.08	दलित महिला को प्रसूति कराना था। डाक्टर ने इलाज के वक्त उसे गाली दी और अभद्र व्यवहार किया	हाई स्कूल, सौरबाजार, सहरसा
20	बैठने की व्यवस्था में भेदभाव	70	अशोक राम, माया देवी	चमार संथाली	बिशनपुर, पथरघाट, सहरसा जेरगाम, मुरलीगंज, मधेपुरा	शिविर प्रभारी और शिविर में रह रहा आदित्य ठाकुर	23.8.08	दलितों को राजाना अलग बैठाक र खाना दिया जाता है और उन्हें अलग खाने को मजबूर किया जाता है	आरएसएस के द्वारा संचालित शिविर/ जिला हाई स्कूल सहरसा
21	बैठने की व्यवस्था में भेदभाव	250	संजय पासवान, उदय पासवान व दूसरे दलित	दुसाध	बौराई, झिटिकिया, पंचायत, सोनबरसा	दबंग यादव समुदाय	25.8.08	दलितों को बाहर मैदान में बैठाक र खाना दिया जाता है जबकि दबंगों को अंदर कमरे में बैठा अपेक्षाकृत बेहतर खाना दिया जाता है.	अमरपुर हाई स्कूल, सहरसा
22	बैठने की व्यवस्था में भेदभाव	56	अमित राम, कलेश्वरी राम	चमार	सिंधियां, हरिपुर, मुरलीगंज, मधेपुरा	कैलाश यादवश नागो यादव	6.9.08 से	दबंग यादवों को स्कूल के बरामदे में खाना दिया जाता है जबकि दलितों को मैदान में	बूचन साह हाई स्कूल, सहरसा

पूर्णिया जिला									
23	प्रशासनिक भेदभाव	322		दुसाध	प्रतापनगर, लक्ष्मीपुर रजनी, मुरलीगंज	ताराकांत झा, एसडीओ	6.9.08	दलित होने के कारण शिविर प्रभारी को हटा दिया गया। लेकिन कागज में दिखाया गया कि उसे दूसरे शिविर में भेज दिया गया है	मध्य विद्यालय, नंदग्राम, धमदाहा
24	प्रशासनिक भेदभाव	450		मुसहर	रजनी, मुरलीगंज, मधेपुरा	राधाकांत झा, एसडीओ	6.9.08	एक शिविर जिसमें सिर्फ दलित रह रहे थे,उसे एसडीओ राधाकांत झा ने मनमाने तरीके से बंद करा दिया	पगांजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, रूपौली
25	राहत वितरण में भेदभाव	10	नाथू पावान, दयानंद रजक	दुसाध, धोबी	प्रताननगर, मुरलीगंज	शिविर के कार्यकर्ता		दलितों को कतार में सबसे अंत में खड़ा किया जाता है और उन तक पहुंचने के पहले ही राहत सामग्री समाप्त हो जाती है	आदर्श मध्य विद्यालय, विलोरी अनूपनगर
26	गाली गलौच	470	छेदी रिशिदेव	मुसहर	रजनी, प्रतापनगर, मुरलीगंज, मधेपुरा	कल्पना कुमारी, सीइओ, धमदाहा और अंचल कार्यालय का कर्मचारी सुरेंद्र मंडल	5.9.08 से	ठीक खाना नहीं मिलने पर शिविर प्रभारी के खिलफ़ आवाज उठाने पर पीड़ित को जाति का नाम लेकर गाली दिया दिया गया	उच्च विद्यालय, धमदाहा
27	गाली गलौज	350	फुलेश्वर राम, चेदेश्वरी राम, विनोद राम	चमार	विशनपुर, प्रतापनगर, मुरलीगंज, मधेपुरा	शिविर प्रभारी हरेंद्र कुमार	15.9.08	निबंधन के समय दलितों को उनकी जाति के नाम से गाली दी गई	मध्य विद्यालय, भवानीपुर, पूर्णिया
28	शौचालय की	300	काशी	डोम	मीरगंज,	स्कूल का	जब से	स्कूल सिर्फ	आदर्श

	सुविधा में भेदभाव		मेहतर,हकलू राम	चमार	धमदाहा, पूर्णिया	प्रधानाध्यापक	शिविर शुरू हुआ है	तीन शौचालय है, लेकिन शिविर प्रभारी ने सबों को कैद कर रखा है	मध्य विद्यालय, मीरगंज, धमदाहा
29	राहत सामग्री की लूट	350	चंदेश्वरी राम, हीरा राम, विनोद राम	चमार	विशनपुर, तुलसी पंचायत, सोनमा भवानीपुर, पूर्णिया	गांव के दबंग लोग	13.9.08	शिविर में बांटे जाने के पहले ही गांव के दबंग जाति के लोगों ने राहत सामग्री लूट ली	बलदेव मध्य विद्यालय, भवानीपुर, रूपौली
मधेपुरा जिला									
30	हमला और यौन दुर्व्यवहार	1	xxx कुमारी, पिता xxx रिशिदेव (नाम जानबूझ कर छिपाया गया है)	चमार	रजनी, मुरलीगंज, मधेपुरा	रमेश मिस्त्री	8.9.08	पीड़िता जब चापाकल से पानी ले रही थी तो अभियुक्त ने उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया। पीड़िता जब मुखिया से इसकी शिकायत करने गई तो उसकी बात सुनने के बजाय उसे जम कर पीटा	तुलसिया हाई स्कूल कैंप नंबर 43
31	धमकी	1	जयमंती देवी पतिः मोहन रिशिदेव	मुसहर	जानी पोखर,रजनी पंचायत, मुरलीगंज मधेपुरा	राजेश कुमार गुप्ता, बीडीओ, बिहारीगंज	8.9.08	एक मामूली विवाद में बीडीओ ने मार कर हाथ पैर तोड़ देने की धमकी दी	आदर्श मध्य विद्यालय, बमनगांवा, बिहारीगंज कैंप नंबर 51
32	भोजन वितरण में भेदभाव	148	प्रमोद राम, कुसुम राम(30), और उमेश राम, पिता का नामः राजो राम(दोनों विकलांग हैं)	चमार	मउरा भराती, बहरारी पंचायत, शंकरपुर	शिविर प्रभारी सुबोध कुमार यादव एवं शिविर के दूसरे कार्यकर्ता	15.9.08	दलितों को खाने के लिए अलग बैठाया जाता है और उन्हें बहुत ही कम खाना दिया जाता है। खाना में सब्जी तक नहीं दिया जाता। साथ	मउरा भराती, झरकाहा मध्य विद्यालय

								ही खाना पकाने के लिए उन्हें लकड़ी चुन कर लाने को कहा जाता है	
33	राहत सामग्री के वितरण में भेदभाव	448 (184 परिवार)	दुखी रिशिदेव पिता: स्व. लाली रिशिदेव (38)	मुसहर	हसनपुरा, गिधा पंचायत, शंकरपुर प्रखंड	जगदीश मंडल	20.8.08	शिविर में गैर दलितों को तीन किलो चाल दिया जाता है। जबकि दलितों को सिर्फ दो मुट्ठी टूटा हुआ चावल दिया जाता है	हसनपुरा, गिधा पंचायत, शंकरपुर प्रखंड
34	इलाज में भेदभाव	2	निशो देवी	चौधरी	बरहिया, बिहारीगंज, मधेपुरा	सरकारी डाक्टर	11.9.08	सरकारी डाक्टर दबंग जाति के लोगों को पहले देखते हैं। और जब दलितों की बारी आती है तो वे दूसरे शिविर के लिए चल देते हैं	उच्च विद्यालय, बिहारीगंज कैंप नंबर 41
35	इलाज में भेदभाव	2	इंदु देवी, रेखा देवी, पति: शंभु रिशिदेव	मुसहर	बिहारीगंज, मधेपुरा	डा. विनोद	11.9.08	शिविर में रहने के बावजूद डाक्टर ने प्रसव के दौरान इलाज के लिए उससे सात सौ रुपए की मांग की	गायत्री झावड़ बालिका मध्य विद्यालय, बिहारीगंज
36	शिविर में मजदूरी के लिए बाध्य किया गया	5	पूनम कुमारी(12), पिता का नाम: युगल रिशिदेव,नन्हकी कुमारी(8) पिता: रामी रिशिदेव, रीना कुमारी(8) पिता: धूलर रिशिदेव, मुनकी	मुसहर	पररियाडीह मेला	शिविर प्रभारी मिथिलेश कुमार	15-16. 9.08	पीड़ितों से शिविर और विशेष रूप से खाने की जगह को साफ करने को कहा गया	मध्य विद्यालय, लक्ष्मीपुर

			देवी(20) पति: राजिंदर रिशिदेव, बिजली देवी(25) पति: योगी रिशिदेव						
37	भोजन वितरण में भेदभाव	310 (35 परिवार)	चंद्रदेव राम(35)	चमार	तुलसिया, बिहारगंज, मधेपुरा	शिविर प्रभारी	23.8.08 से	दूसरे शिविरों की तरह इस शिविर में भी दलितों को सिर्फ टूटा हुआ चावल दिया जाता है। दलितों को कोई भी सुविधा ठीक से नहीं दी जाती	तुलसिया कैंप नंबर 43
अररिया जिला									
38	सुविधाओं की जगहें दलितों की लिए परेशानी वाली	200	योगेंद्र रिशिदेव, कार्तिक सदा	मुसहर	मुसहरी, नरपतगंज, अररिया	बीडीओ, नरपतगंज	शिविर शुरू होने के समय से ही	शौचालय, चापाकल, स्वास्थ्य शिविर, आदि दलितों के रहने की जगह से एक किलोमीटर दूर हैं	मुसहरी, नरपतगंज, अररिया
39	राहत शिविरों से जबरन निकाला गया	1000	गंगा राम, कालेश्वर राम	चमार	जीवचपुर, छातापुर, सुपौल	शिविर प्रबंधक	2.9.08	शिविर प्रबंधक ने दलित पीड़ितों को मेगा शिविर से जबरन निकलने के लिए बाध्य किया	जेबीसी नहर, आरडी 14, नाथपुर, अररिया
40	शिविर में प्रवेश करने पर रोक और भोजन वितरण में भेदभाव	25	साभू राम , भिरखी देवी	चमार	रामपुर, वार्ड नं.2, छातापुर, सुपौल	श्री राजेंद्र	11.9.08	दलितों को शिविर से बाहर रखा गया - शिविर में दलितों को खाना नहीं दिया गया	कम्युनिटी हॉल, मगरेटा टोला, नरपतगंज
41	भोजन वितरण में भेदभाव	3500	ब्रह्मदेव रिशिदेव, परमानंद रिशिदेव	मुसहर	वार्ड नं. 5 देवीगंज		30.9.08	दलित लोगों को सिर्फ एक बार खाना दिया	जूट भवन, देवीगंज, नरपतगंज

								जाता है –जो दिया भी जाता है वह बहुत कम मात्रा में रहता है	
42	शारीरिक प्रताड़ना	1	ब्रह्मदेव रिशिदेव	मुसहर	वार्ड नंबर 5 देवीगंज	झूलन मंडल	7.9.08	पीड़ित जब शिविर में खाना लेने गया तो अधिकारियों के द्वारा उसे पीटा गया। उसके सिर में काफी चोट लगी	जूट भवन, देवीगंज, नरपतगंज
43	भोजन वितरण में भेदभाव	600	सदयबस्त, सूरज, सुदामा	मुसहर	वार्ड नं. 1 पथराहा	शिविर प्रभारी	6.9.08	भोजन वितरण के समय ब्राह्मण एवं दूसरी दबंग जातियों के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है	बालिका मध्य विद्यालय, पथराहा
44	इलाज की सुविधा से वंचित रखना	1	दुखी सदा	मुसहर	मध्य विद्यालय, फतेहपुर, नरपतगंज, अररिया	शिविर प्रभारी और डा. योगेंद्र	6.9.08	डाक्टर ने यह कह कर इलाज नहीं किया ि कवह शिविर का नहीं है. इसके कारण उसकी मौत हो गई	मध्य विद्यालय, फतेहपुर, नरपतगंज
45	निबंधन सुविधा का नहीं मिलना	1000	राकेश सदा, मुकेश सदा	मुसहर	वार्ड नं. 8 उत्तमपुर, भागवतपुर छातापुर, सुपौल	शिविर प्रभारी	9.9.08	दलितों की मौत को दर्ज नहीं किया जा रहा	वार्ड नं. 8 उत्तमपुर, भागवतपुर छातापुर, सुपौल
46	बलात्कार	1	xxx (नाम जानबूझ कर छुपाया जा रहा है)	साघर	हरिहरपुर, छातापुर, सुपौल	गांव के दबंग जाति का व्यकित		पीड़िता जब शौच के लिए जा रही थी तो उसी वक्त दबंग जाति के एक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया	जनता हाई स्कूल, पिथौरा, नरपतगंज, अररिया

अनुसूची 2

A sample of site- specificschedules and case study framework

बाढ़ राहत शिविरों की व्यवस्थाओं व प्रक्रियाओं का आकलन

राहत शिविर का स्थान- ग्राम/मुहल्ला.....प्रखंड.....जिला.....

1. राहत शिविर से संबंधित सामान्य जानकारी
. शिविर प्रारंभ होने की तिथि
. शिविर प्रभारी का नाम.....पद.....दूरभाष.....

. शिविर प्रबंधन में शामिल लोगों की संख्या- महिला.....पुरुष.....
. मुख्य कार्यरत एजेंसियां
. मुख्यत: किन गावों के लोग शिविर में हैं

गांव व पंचायत का नाम	कुल प्रभावित परिवारों व लोगों की संख्या	प्रभावित दलित परिवारों की जातिवार संख्या
फूलपुर(बथुआ)	28(126)	मुसहर(12), पासी(10),नट(6)

राहत शिविर में लाभार्थियों की कुल संख्या-
बच्चे.....महिलाएं.....गर्भवती महिलाएं.....विकलांग.....वृद्ध.....

3.राहत शिविरों के वितरण की प्रक्रिया

सामग्री	स्रोत/ दाता का नाम	कब-कब मिलता है/ मिला ?	क्या-क्या मिलता है?	कितने लोग लाभान्वित हुए?	वितरण का तरीका (किनको पहले मिलता है/ क्या कतार में खड़ा होना पड़ता है/ कितना समय लगता है? इत्यादि)
खाद्य सामग्री					
अस्थायी आवासीय सुविधाएं					
कपड़े					

4. उपलब्ध सुविधाएं

सामग्री	स्रोत/दाता का नाम	सुविधाओं के प्रकार	कितने लोग लाभान्वित हुए	वितरण का तरीका (किनको पहले मिलता है/ क्या कतार में खड़ा होना पड़ता है/ कितना समय लगता है? इत्यादि)
स्वास्थ्य सुविधाएं		चिकित्सक, महिला चिकित्सक दवाइयां, परिचारक रेफरल पशु चिकित्सक अलग प्रसव केंद्र		
पेयजल सुविधाएं				
स्वच्छता सुविधाएं				
आवाजाही की सुविधाएं				
सूचना की सुविधाएं				
सुरक्षा की सुविधाएं				
संचार की सुविधाएं				
पंजीकरण की सुविधाएं				
बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं				

5. मृत्युओं का विवरण:

मृत्युओं के कारण	बच्चे	बच्चियां	पुरुष	महिलाएं	कुल मृतकों की संख्या	दलित
डायरिया						
भूख						
जहरीला दंश						
चिकित्सक की लापरवाही						

6. लोगों की अपेक्षाएं:

.

.

.

.

7. सर्वेक्षणकर्ता के व्यक्तिगत अनुभव:

सर्वेक्षणकर्ता का नाम **हस्ताक्षर** **सर्वेक्षण की तिथि**

राहत शिविर का नजरी नक्शा

किस स्थान पर किन समुदायों के लोग हैं, राहत सामग्री वितरण के स्थल व अन्य सुविधाएं, जैसे शौचालय, पेयजल के स्रोत इत्यादि की अवस्थिति दिखाती हुई:

Annex 2 a: Case Study Format

बाढ़ प्रभावित दलित समुदायों के अनुभवों के आकलन के लिए केस अध्ययन का प्रारूप

व्यक्ति का नामः

जाति व उम्र

पता(गांव, पंचायत, ब्लॉक, जिला)

परिवार में कौन-कौन हैं

बाढ़ से क्षतिग्रस्त जानमाल व मुख्य दस्तावेजों का विवरण

पानी से घिरे होने के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा

क्या परिवार के कोई सदस्य अभी गांव में ही हैं?

क्या परिवार का कोई सदस्य लापता है?

कहां शरण लिए? कबसे शरण लिए?

शिविर में अब तक क्या-क्या/ कब-कब/ किनसे मिला

किस-किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा?
(राहत शिविरों में, बच के निकलने के दौरान, भोजन की कतारों में इत्यादि)

क्या परिवार के लोगों को किसी तरह की बीमारी का सामना करना पड़ा?

यदि हां, तो इलाज हासिल करने का अनुभव कैसा रहा?

राहत शिविर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के सुझाव
भविष्य की जरूरतों के बारे में क्या सोचते हैं?

अनुसूची 3

दलित वाच के द्वारा मुआयना किए गए राहत शिविरों की सूची

क्रमांक	राहत शिविर	प्रखंड	मुआयने की तिथि
	सुपौल जिला		
1	पिपरा बाजार	पिपरा	16.9.08
2	प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय, त्रिवेणीगंज	त्रिवेणीगंज	14.9.08
3	टी.सी. उच्च विद्यालय, चकला	निर्मली	11.9.08
4	मध्य विद्यालय, बभनगामां	त्रिवेणीगंज	13.9.08
5	उल्लासे बलरहाट	राघोपुर	16.9.08
6	उच्च विद्यालय, भाबतियाही	सरायगढ़	13.9.08
7	सरायगढ़ रेलवे स्टेशन	सरायगढ़	11.9.08
8	मध्य विद्यालय, भाबतियाही	सरायगढ़	15.9.08
9	मध्य विद्यालय, रतनपुर	बसंतपुर	11.9.08
10	भीमनगर	बसंतपुर	15.9.08
11	प्राथमिक विद्यालय, बतैया, 22 आरडी	बसंतपुर	14.9.08
12	पंचायत भवन, राघोपुर	बसंतपुर	16.9.08
13	मध्य विद्यालय, कटैया	बसंतपुर	13.9.08
14	पश्चिमी बाइपास कैंप ,कटैया	बसंतपुर	13.9.08
15	सत्यदेव उच्च विद्यालय, पिपरा	त्रिवेणीगंज	16.9.08
16	बालिका मध्य विद्यालय,सिमराही	राघोपुर	13.9.08
17	लखीचंद्र उच्च विद्यालय, सिमराही	राघोपुर	13.9.08
18	मध्य विद्यालय, राघोपुर	राघोपुर	16.9.08
19	मध्य विद्यालय,मझौआ	प्रतापगंज	18.9.08
20	बांस चौक, श्रीपुर	प्रतापगंज	15.9.08
21	सिमराही धर्मशाला	राघोपुर	16.9.08
22	बेलही, तीनकोठिया	प्रतापगंज	11.9.08
23	गनपतगंज	राघोपुर	16.9.08
24	भीमनगर	बसंतपुर	11.9.08
25	आइटीआइ, सुपौल	सुपौल	13.9.08
26	उच्च विद्यालय, चरमा	छातापुर	13.9.08
	मधेपुरा जिला		
27	उच्च विद्यालय, ज्वालपाड़ा	ग्वालपाड़ा	13.9.08
28	बसंतपुर	शंकरपुर	16.9.08
29	शंकरपुर	शंकरपुर	15.9.08
30	बथानपरसा	शंकरपुर	14.9.08
31	कुल्हवां	शंकरपुर	12.9.08
32	मौजमा	शंकरपुर	11.9.08
33	मध्य विद्यालय, लक्ष्मीपुर	बिहारीगंज	15.9.08
34	आदर्श उच्च विद्यालय, बभनगामा	बिहारीगंज	13.9.08

35	गायत्री भवंर बालिका मध्य विद्यालय	बिहारगंज	11.9.08
36	मजरहाट	सिंहेश्वर	11.9.08
37	मजरहाट कैम्पस	सिंहेश्वर	13.9.08
38	गहुमनी लाला पट्टी	सिंहेश्वर	15.9.08
39	आस्था भवन	सिंहेश्वर	14.9.08
40	न्यास मंदिर	सिंहेश्वर	15.9.08
41	प्रतिमा सिंह धर्मशाला	सिंहेश्वर	13.9.08
42	उच्च विद्यालय, बिहारगंज	बिहारीगंज	11.9.08
43	प्राथमिक विद्यालय, बिहारीगंज	बिहारीगंज	13.9.08
44	उच्च विद्यालय, तुलरिनिया	बिहारीगंज	15.9.08
45	गिद्धा	शकरपुर	11.9.08
46	हसनपुर	शकरपुर	12.9.08
47	कवियाही	शकरपुर	14.9.08
48	मोरा भारती , झरवाहा	शकरपुर	15.9.08
49	कथौटिया	बिहारीगंज	14.9.08
50	गमैल	बिहारीगंज	11.9.08
51	तुलसिया	बिहारीगंज	15.9.08
52	बिहारीगंज रेलवे स्टेशन	बिहारीगंज	12.9.08
53	उच्च विद्यालय, लालपुर, सरोह पट्टी	सिंहेश्वर	11.9.08
54	प्राथमिक विद्यालय, लालपुर	सिंहेश्वर	13.9.08
55	प्राथमिक विद्यालय, सरोह पट्टी	सिंहेश्वर	14.9.08
56	मदरसा, मसजिद चौक	मधेपुरा	11.9.08
57	बस स्टैंड	मधेपुरा	13.9.08
58	रेलवे स्अेशन, पासवान टोला	मधेपुरा	11.9.08
59	कालेज, बजरंगी चौक	मधेपुरा	11.9.08
60	खुपैती	मधेपुरा	14.9.08
61	मोहनपुर	मधेपुरा	11.9.08
62	पुलिस स्टेशन	मधेपुरा	11.9.08
63	पुलिस स्टेशन, खुपैती	मधेपुरा	12.9.08
64	स्वास्थ्य उपकेंद्र	मधेपुरा	15.9.08
65	जगजीवन आश्रम	मधेपुरा	13.9.08
66	इंटर कॉलेज	मधेपुरा	15.9.08
67	टी.पी कॉलेज	मधेपुरा	12.9.08
68	जनरल हाई स्कूल	मधेपुरा	13.9.08
69	खेदान चौक	मधेपुरा	13.9.08
70	टी.पी. कॉलेज के सामने	मधेपुरा	15.9.08
71	अल्पसंख्यक छात्रावास	मधेपुरा	16.9.08
72	सामुदायिक भवन, बरही, मांझी टोला	मधेपुरा	13.9.08
73	मध्य विद्यालय, भेलवा	मधेपुरा	15.9.08
74	आदर्श मध्य विद्यालय, ग्वालपाड़ा	ग्वालपाड़ा	11.9.08

75	रेशमा	ग्वालपाड़ा	15.9.08
	अररिया जिला		
76	महर्षि किशोरी	नरपतगंज	11.9.08
77	प्राथमिक विद्यालय, मधुरा	नरपतगंज	11.9.08
78	जूट भवन, देवीगंज, नरपतगंज	नरपतगंज	11.9.08
79	मध्य विद्यालय, खेरा	नरपतगंज	11.9.08
80	मध्य विद्यालय, खेरा, गरिया एनएच-57	नरपतगंज	12.9.08
81	प्राथमिक विद्यालय, खैरबन्ना	नरपतगंज	11.9.08
82	प्राथमिक विद्यालय, फतेहपुर	नरपतगंज	11.9.08
83	89 आरडी, सफेन खारा	नरपतगंज	12.9.08
84	प्राथमिक विद्यालय, मधुरा, हरिजन टोला	नरपतगंज	13.9.08
85	नरपतगंज मुसहरी	नरपतगंज	12.9.08
86	78 आरडी मथुरापुर	नरपतगंज	13.9.08
87	मध्य विद्यालय, भदेश्वर	फारबिसगंज	10.9.08
88	प्राथमिक विद्यालय, बथनाहा, कोसी कैंप	फारबिसगंज	10.9.08
89	प्राथमिक विद्यालयश भतियाही	फारबिसगंज	11.9.08
90	एस.एस.बी. कैंप	फारबिसगंज	11.9.08
91	फारबिसगंज कॉलेज	फारबिसगंज	12.9.08
92	मध्य विद्यालय, प्रबाध	फारबिसगंज	12.9.08
93	प्राथमिक विद्यालय, सैफगंज	फारबिसगंज	13.9.08
94	पंचायत भव, प्रबाध	फारबिसगंज	13.9.08
95	ली एकेडमी.....समाज	फारबिसगंज	14.9.08
96	मध्य विद्यालय, सिमराहा	फारबिसगंज	14.9.08
97	एस.एन.वी. कालेज	रानीगंज	11.9.08
98	प्राथमिक विद्यालय, वीरनगर	भरगामा	14.9.08
99	जे.बी.सी. खूजी नहर	भरगामा	13.9.08
100	कलावती युनिवर्सिटी	रानीगंज	11.9.08
101	वाइ.एन.पी कॉलेज	रानीगंज	11.9.08
102	मिशन स्कूल, बदरहा	रानीगंज	12.9.08
103	जगता	रानीगंज	12.9.08
104	बालिका प्राथमिक विद्यालय, चंदा	नरपतगंज	11.9.08
105	पुनीत नारायण मंडल	नरपतगंज	14.9.08
106	मध्य विद्यालय, योगीपुर	नरपतगंज	16.9.08
107	फरही मुसहरी	नरपतगंज	15.9.08
108	मध्य विद्यालय, फतेहपुर	नरपतगंज	13.9.08
109	प्राथमिक विद्यालय, उत्तरी मधुरा	नरपतगंज	15.9.08
110	प्राथमिक विद्यालय, जिमराही	नरपतगंज	14.9.08
111	सोनापुर मध्य विद्यालय	नरपतगंज	13.9.08
112	उच्च विद्यालय, पुलकाहा, नवाबगंज	नरपतगंज	12.9.08
113	मध्य विद्यालय, घरौना	नरपतगंज	12.9.08

114	सुरसर पुलिस कैंप	नरपतगंज	12.9.08
115	मेन कैनाल, धुनिया टोला के पास	नरपतगंज	11.9.08
116	10 आरडी जेबीसी नहर	नरपतगंज	11.9.08
117	बैंक मोड़, एनएच-नाथनगर	नरपतगंज	11.9.08
118	कम्युनिटी हॉल,फतेहपुर	नरपतगंज	11.9.08
119	उच्च विद्यालय, नरपतगंज	नरपतगंज	10.9.08
120	रेलवे स्टेशन, देवीगंज	नरपतगंज	13.9.08
121	बालिका मध्य विद्यालय, पथराहा	नरपतगंज	13.9.08
122	प्राथमिक विद्यालय, कुंडलीपुर	नरपतगंज	13.9.08
123	मेन कैनाल साइफन, चंदा	नरपतगंज	10.9.08
124	आजादनगर	अररिया	10.9.08
125	मदरसा	अररिया	10.9.08
126	नेताजी सुभाष स्टेडियम	अररिया	10.9.08
127	खेरा बहरद्वार	नरपतगंज	11.9.08
128	खेरा चंदा मध्य विद्यालय	नरपतगंज	10.9.08
पूर्णिया जिला			
129	मध्य विद्यालय, जनकनगर हाट	बनमनखी	15.9.08
130	मध्य विद्यालय, नंदग्राम	धमदाहा	16.9.08
131	खगाहा, रूपसपुर	धमदाहा	13.9.08
132	आदर्श मध्य विद्यालय, बिरौली बाजार	रूपौली	13.9.08
133	आदर्श मध्य विद्यालय,मीरगंज	धमदाहा	11.9.08
134	उच्च विद्यालय, रूपौली	रूपौली	14.9.08
135	आदर्श मध्य विद्यालय,रूपौली	रूपौली	11.9.08
136	आदर्श मध्य विद्यालय,अनूपनगर बिरौली	पूर्वी पूर्णिया	11.9.08
137	विलौरी-2	पूर्वी पूर्णिया	12.9.08
138	मरंगा ए	पूर्वी पूर्णिया	13.9.08
139	आदर्श मध्य विद्यालय,करहरा कोठी	बरहरा कोठी	14.9.08
140	बालिका मध्य विद्यालय,भवानीपुर	भवानीपुर	13.9.08
141	बलदेव मध्य विद्यालय,	भवानीपुर	11.9.08
142	जावे कुसाहा मध्य विद्यालय	भवानीपुर	14.9.08
143	मध्य विद्यालय,दुर्गापुर	भवानीपुर	13.9.08
144	बलदेव उच्च विद्यालय, भवानीपुर	भवानीपुर	12.9.08
145	मध्य विद्यालय,जानकी नगर	बनमनखी	15.9.08
146	उच्च विद्यालय, धमदाहा	धमदाहा	12.9.08
147	मध्य विद्यालय, मिर्चबारी	बनमनखी	13.9.08
148	सुमृत उच्च विद्यालय	बनमनखी	12.9.08
149	बाजार समिति, बनमनखी	बनमनखी	15.9.08
150	जवाहर भवन, मिर्चबारी चौक	जानकी नगर	13.9.08
151	मंटूराम बालिका उच्च विद्यालय	बनमनखी	13.9.08
152	जेबीसी नहर	बनमनखी	14.9.08

153	प्रतिमा सिंह मातृत्व, लालपुर सेवासदन	सिंघेश्वर	15.9.08
154	बनमनखी वार्ड नं 5	बनमनखी	11.9.08
155	चौपड़ बाजार रामनगर	बनमनखी	15.9.08
सहरसा जिला			
156	सोनबरसा राज	सोनबरसा राज	15.9.08
157	सोनबरसा राज	सोनबरसा राज	13.9.08
158	मनौरी टोला	सोनबरसा राज	11.9.08
159	बालिका मध्य विद्यालय, सौरबाजार	सौरबाजार	15.9.08
160	किसनपुर	पतरघट	15.9.08
161	कपसिया	पतरघट	13.9.08
162	पतरघाट गढ़	पतरघट	11.9.08
163	जिला स्कूल, सहरसा	कहरा	14.9.08
164	वीमेंस कालेज बूटराहा	कहरा	13.9.08
165	पंचायत भवन शाहपुर	सोनबरसा	11.9.08
166	सौरबाजार	सौरबाजार	15.9.08
167	नवटोलिया ाहपुर	सोनबरसा	12.9.08
168	बस स्टैंड लगमा	सोनबरसा	13.9.08
169	सोनबरसा गौशाला रोड	सोनबरसा	14.9.08
170	बालिका मध्य विद्यालय सोनबरसा	सोनबरसा	15.9.08
171	जमहारा	पतरघट	12.9.08
172	विष्णुपुर	पतरघट	15.9.08
173	लक्ष्मीपुर	पतरघट	16.9.08
174	कपसिया	पतरघट	14.9.08
175	मध्य विद्यालय पतरघाट	पतरघट	13.9.08
176	सौरबाजार	सौर बाजार	13.9.08
177	गांधी पथ	कहरा	11.9.08
178	सिलेट	सौर बाजार	12.9.08
179	मध्य विद्यालय वेलहा	सौर बाजार	11.9.08
180	राजेंद्र मध्य विद्यालय, चित्रगुप्तनगर	कारा	12.9.08
181	नियामत टोला	कहरा	13.9.08
182	आर.एम. कॉलेज, तिवारी टोला	कहरा	
183	बैजनाथपुर कॉलेज	सौर बाजार	13.9.08
184	रेलवे कॉलोनी	सहरसा	11.9.08
185	कोसी प्रोजेक्ट, कोसी कॉलोनी मेगा कैंप	कहरा	13.9.08
186	एम.आइ.टी. यूनिवर्सिटी	सहरसा	12.9.08
187	कोसी हाई स्कूल	सहरसा	13.9.08
188	उच्च विद्यालय अमरपुर	कहरा	
189	मनोहर उच्च विद्यालय	सहरसा	11.9.08
190	नौनियार धर्मशाला	सहरसा	11.9.08
191	जिला परिषद कार्यालय	कहरा	

192	बैजनाथपुर पेपर मिल	सौर बाजार	13.9.08
193	उच्च विद्यालय, सौरबाजार	सौर बाजार	11.9.08
194	विराटपुर मध्य विद्यालय	सोनबरसा	13.9.08
195	पुराना बस्ती	कहरा	15.9.08
196	मेगा कैंप पटेल ग्राउंड	सहरसा	12.9.08
197	मेगा कैंप प्रोजेक्ट	सहरसा	11.9.08
198	रूपवती बालिका उच्च विद्यालय	सहरसा	13.9.08
199	मेगा कैंप स्टेडियम, सहरसा	सहरसा	12.9.08
200	मेगा कैंप अमजदिया मीरटोला	सहरसा	15.9.08
201	मेगा कैंप बूचन शाह मध्य विद्यालय	सहरसा	14.9.08
202	सौर बाजार	सौरबाजार	15.9.08
203	बहरगा पुल	गोवादिपुर	16.9.08
204	बरसान नहर	सोनबरसा	16.9.08
205	सौरबाजार सेल	सौरबाजार	